(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड–1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 53/ 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 30 नवम्बर, 2018

विषयः– पैरा 2.103 के अन्तर्गत एक नया प्रावधान जोड़ने तथा पैरा 2.104 में संशोधन के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक में एक नया पैरा 2.103(ड.) जोड़ते हैं तथा पैरा 2.104(क) (ग) को निम्नानुसार संशोधित करते हैंः–

2.103(ड.) उद्गम का तरजीही प्रमाणपत्र जारी करने हेतु लगाए जाने वाले शुल्क का विवरण परिशिष्ट 2ट में यथा निर्दिष्ट है। यह परिशिष्ट 2ट में यथा निर्दिष्ट सत्यापन के मामले में किसी मुक्त व्यापार समझौते के तहत जारी उद्गम प्रमाणपत्र के नियमों हेतु सत्यापन शुल्क के रूप में भी लागू होगा। तथापि, कुछ अभिकरणों द्वारा प्रदान किए जा रहे तत्काल उद्गम प्रमाणपत्र के प्रावधान को बंद किया जाएगा। उद्गम प्रमाणपत्र को आवेदन करने के 24 घंटों/एक कार्य दिवस के अन्दर प्रदान किया जाएगा।

2.104 (क) (ग)

मौजूदा पैरा	**संशोधित पैरा 2.104 (क) (ग)**
यूरोपीय संघ (ईयू) ने 01.01.2017 से जीएसपी के तहत उद्गम के नियमों को प्रमाणित करने के लिए एक स्व–प्रमाणन योजना लागू की है। 01.01.2017 से लागू की जा रही पंजीकृत निर्यातक प्रणाली (आरईएक्स) के तहत, आरईएक्स संख्या वाले निर्यातक जीएसपी योजना के तहत ईयू को निर्यात किए जाने वाले अपने सामान के उद्गम पर विवरण को स्व प्रमाणित करने में सक्षम होंगे। आरईएक्स पर पंजीकरण बिना किसी शुल्क या चार्ज के है और यह प्रणाली परिशिष्ट–2ग में सूचीबद्ध सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उद्गम के प्रमाण पत्र (प्रपत्र–क) को जारी करने की वर्तमान प्रणाली को धीरे–धीरे समाप्त कर देगी। इस योजना का विवरण अनुबंध–1 से परिशिष्ट–2ग पर है।	यूरोपीय संघ (ईयू) ने 01.01.2017 से जीएसपी के तहत उद्गम के नियमों को प्रमाणित करने के लिए एक स्व–प्रमाणन योजना लागू की है। 01.01.2017 से लागू पंजीकृत निर्यातक प्रणाली (आरईएक्स) के तहत, आरईएक्स संख्या वाले निर्यातक जीएसपी योजना के तहत ईयू को निर्यात किए जाने वाले अपने सामान के उद्गम पर विवरण को स्व प्रमाणित करने में सक्षम होंगे। आरईएक्स पर पंजीकरण बिना किसी शुल्क या चार्ज के है। स्कीम का ब्यौरा अनुबंध–1 से परिशिष्ट 2(ग) में दिया गया है।

	के अनुरोध के आधार पर स्व–प्रमाणित उदगम प्रमाण पत्र का पश्च सत्यापन करेंगे तथा लगाए जाने वाले शुल्क का ब्यौरा परिशिष्ट 2ट में दिया गया है। अभिकरण इकाई से पृथक रुप से यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता सरकारी दरों के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः (i) उदगम का तरजीही प्रणाम पत्र तथा (ii) यूरोपीय संघ–जीएसपी के तहत स्व–प्रमाणित उदगम प्रमाण पत्र के पश्च सत्यापन हेतु शुल्क का प्रावधान किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

[फा० सं० 01/93/180/56/एएम–13/पीसी–2 (ख)/ई–2205 से जारी]